दिल्ली विकास प्राधिकरण

मुख्य योजना अनुभाग
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

फाइल सं. पीएलजी/एमपी/0003/2026/एफ–20/.– दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–ए के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2047/जोन–डी की क्षेत्रीय विकास योजना में किए जाने वाले निम्नलिखित संशोधन को सार्वजनिक सूचना हेतु एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से **तीस (30) दिन** की अवधि के अंदर **https://clu.dda.org.in** ऑनलाइन पोर्टल अथवा ई–मेल के माध्यम से **mpd2047-public@dda.org.in** पर अथवा लिखित रूप से आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/सम्पर्क नंबर/ई–मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	दिल्ली मुख्य योजना 2047/ क्षेत्रीय विकास योजना 2001 के अनुसार भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएं
कॉपरनिकस लेन में प्लॉट संख्या 12, 14 एवं 16	8494.35	आवासीय	सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक	**उत्तरः** कॉपरनिकस लेन **पूर्वः** समाजवादी पार्टी का कार्यालय **पश्चिमः** मौजूदा खेल का मैदान और भारतीय विद्या भवन की इमारत **दक्षिणः** श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंज़िल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात **https://dda.gov.in/mpd-2047** और **https://clu.dda.org.in** पर उपलब्ध है।

हस्ता./–
सुरेन्द्र कुमार मीणा
आयुक्त एवं सचिव

हमें @ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर फॉलो करें।
कृपया डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in** देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 पर डायल करें